बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0 संख्याः– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना, दिनांक :– 10.3.25

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर के अधीन मधेपुरा प्रखंड में शीर्ष PMGSY-I अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में स्वीकृत निर्माणाधीन पुल Construction of RCC Bridge in Bheja Koshi Bandh To Mahpatiaya Road at Ch. 2.1 पैकेज सं0–BR21R699 का दिनांक 26.06.2024 को एक गर्डर नदी में गिर जाने जबकि बाकि के दो गर्डर Sag कर जाने के संबंध में नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में पुल निर्माण कार्य का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किये जाने तथा संवेदक द्वारा की जा रही मनमानेपन को रोकने हेतु कोई कार्रवाई नहीं करने संबंधी आरोपों पर विभागीय पत्रांक 2048 दिनांक 10.07.2024 द्वारा श्री रवि राहुल, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से स्पष्टीकरण की मांग की गई।

2. श्री राहुल द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 15.07.2024 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण की मुख्य अभियंता–6 से समीक्षा कराई गई। मुख्य अभियंता–6 द्वारा मामले की समीक्षोपरान्त निम्न निष्कर्ष अंकित किया गया–

> *"संबंधित अभियंता द्वारा मानसून के बाद कार्य करने के लिए निदेशित किये जाने के बावजूद बिना किसी भी अभियंता को सूचित किये कार्य कराया गया है। चूँकि संवेदक द्वारा एकरारनामा के तहत कार्य किया जा रहा था तो ऐसी स्थिति में अकार्यकारी मौसम में उन्हें उक्त प्रकृति के कार्य स्वविवेक से भी नहीं किया जाना था एवं साथ ही साथ एकरारनामा की शर्तों के अनुरूप कार्य में संलग्न संवेदक के अभियंताओं का भी दायित्व था कि अकार्यकारी मौसम में पुल के कार्य को संपादित नहीं किया जाता। चूँकि कार्य RCC प्रकृति का है जिसमें पहले Reinforcement Binding करने के उपरांत सक्षम अभियंता से Checking एवं Measurement के बाद ही ढ़लाई का कार्य किया जाना है परंतु यहाँ पर बिना छड़ को Checking के ही ढ़लाई का कार्य कराया गया है, जो कि संवेदक की स्वेच्छाचारिता एवं दबंगता को दर्शाता है। हॉलाकि उक्त कार्य के संबंध में संबंधित अभियंताओं को भी सतर्कता बरतने की जरूरत थी। चूँकि उक्त कार्य का कोई भुगतान नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पर विभाग को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। संवेदक द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त कार्य को Dismentling कर पुनः करने को तैयार है।*
>
> *संवेदक को अभियंता द्वारा अकार्यकारी मौसम में कार्य नहीं करने का निदेश देने एवं संवेदक द्वारा कार्य किये जाने की जानकारी संबंधित अभियंता को घटना घटित होने के बाद होने पर संवेदक को क्षतिग्रस्त भाग को Dismentling कर पुनः निर्माण करने का निर्देश दिया गया है जिसके लिए संवेदक ने अपनी सहमति दी है एवं इसी आधार पर विभागीय आदेश ज्ञापांक 5339 दिनांक 13.09.2024 द्वारा संवेदक को चेतावनी देते हुए उनके निबंधन के निलंबन आदेश को set aside किया गया है।*
>
> *अतः उपरोक्त विवेचना की पृष्ठभूमि में उक्त सभी तीनों अभियंताओं से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।"*

3. मुख्य अभियंता–6 की समीक्षा एवं नोडल पदाधिकारी, पी0एम0जी0एस0वाई0 के प्रतिवेदन के आलोक में श्री रवि राहुल, सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समग्र समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित अभियंता द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं

किया गया है। संवेदक के स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना तथा Technical Specifications and mandate के हिसाब से कार्य कराना उनकी मौलिक जिम्मेदारी थी, जिसे क्रियान्वित करने में उनसे चूक हुई है तथा अपने दायित्व के निर्वहन करने में वे असफल रहे। इसप्रकार श्री राहुल के विरूद्ध कार्य के पर्यवेक्षण में लापरवाही का आरोप प्रमाणित होता है। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राहुल के विरूद्ध निंदन की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

4. अतः श्री रवि राहुल, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता हैः–

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2024–25)

बिहार राज्यपाल के आदेश से

SKumar 7/3/25

(संजय कुमार)

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना, दिनांकः– 10.3.25

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

SKumar 7/3/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना, दिनांकः– 10.3.25

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 7/3/25

अवर सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना/दिनांकः– 10.3.25

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मधुबनी/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल झंझारपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SKumar 7/3/25

अवर सचिव

ज्ञापांक:– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना/दिनांक:– 10.3.25

प्रतिलिपि:– श्री रवि राहुल, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar 7/3/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना/दिनांक:– 10.3.25

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Skumar 7/3/25
अवर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–61/2024 2844 /पटना/दिनांक:– 10.3.25

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Skumar 7/3/25
अवर सचिव

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in